रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1108] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 22, 2006/भाद्र 31, 1928
No. 1108] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 22, 2006/BHADRA 31, 1928

## विधि एवं न्याय मंत्रालय
## ( विधायी विभाग )
## अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2006

**का.आ. 1584( अ ).**—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

### आदेश

श्री आर० एल० केन, महासचिव बाबा साहेब अम्बेडकर मेमोरियल एक्शन काउंसिल, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (1) के अधीन श्रीमती मीरा कुमार, संसद की आसीन सदस्या (लोकसभा) की अभिकथित निरर्हता के संबंध में तारीख 7 अप्रैल, 2006 की याचिका प्रस्तुत की गई है;

और श्री राजेन्द्र पाल गौतम, मुख्य महासचिव, समता सैनिक दल, द्वारा राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (1) के अधीन श्रीमती मीरा कुमार, संसद की आसीन सदस्या (लोकसभा) की अभिकथित निरर्हता के संबंध में तारीख 26 अप्रैल, 2006 की एक अन्य याचिका प्रस्तुत की गई है;

और उक्त याचियों ने यह अभिकथन किया है कि श्रीमती मीरा कुमार डा० अम्बेडकर फांउडेशन की अध्यक्षा और मौलाना आजाद ऐजुकेशन फांउडेशन की अध्यक्षा का पद धारण कर रही हैं जोकि अभिकथित रुप से लाभ के पद हैं;

और राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (2) के अधीन तारीख 17 अप्रैल, 2006 और तारीख 18 मई, 2006 के निर्देशों द्वारा इस प्रश्न के संबंध में निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई है कि क्या श्रीमती मीरा कुमार, संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड (1) के उपखंड (क) के अधीन संसद सदस्या (लोकसभा) बने रहने के लिए निरर्हित हो गई हैं;

और निर्वाचन आयोग ने यह नोट किया है कि श्रीमती मीरा कुमार द्वारा धारण किए जाने वाले पद पदेन हैसियत में हैं और संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 की धारा 3 की उपधारा (क) और उपधारा (ट) उन्हें निरर्हता, यदि याचिकाओं में उल्लिखित पदों को उनके द्वारा धारण किए जाने के कारण कोई थी भी तो, से संरक्षा प्रदान करती हैं;

और निर्वाचन आयोग ने अपनी राय (उपाबंध द्वारा) दे दी है कि श्रीमती मीरा कुमार ने निदेशाधीन दोनों याचिकाओं में उल्लिखित पदों को धारण करने के कारण संसद (लोकसभा) की सदस्या होने के लिए कोई निरर्हता उपगत नहीं की है;

अतः, अब, मैं, आ०प०जै० अब्दुल कलाम, भारत का राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (1) के अधीन मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह विनिश्चय करता हूं कि श्रीमती मीरा कुमार ने श्री आर० एल० केन और श्री राजेन्द्र पाल गौतम द्वारा प्रस्तुत दोनों याचिकाओं में उल्लिखित पदों को धारण करने के कारण संसद (लोकसभा) की सदस्या होने के लिए कोई निरर्हता उपगत नहीं की है ।

**भारत का राष्ट्रपति**

---

18 सितम्बर, 2006

[फा. सं. एच. 11026(19)/2006-वि. II]
एन. के. नम्पूतिरी, संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शी

**उपाबंध**

**भारत निर्वाचन आयोग**

निर्देश :
संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) के अधीन लोक सभा सदस्या श्रीमती मीरा कुमार की अभिकथित निरर्हता

**2006 का निर्देश मामला सं. 46 और 84**

[संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन राष्ट्रपति से निर्देश]

**राय**

यह राय संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन भारत के राष्ट्रपति से प्राप्त तारीख 17 अप्रैल, 2006 और 18 मई, 2006 के दो निर्देशों से संबंधित है, जिनमें इस प्रश्न पर निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई है कि क्या श्रीमती मीरा कुमार संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) के अधीन लोक सभा की सदस्या बने रहने के लिए निरर्हित हो गई हैं अथवा नहीं । तारीख 17 अप्रैल, 2006 का पहला निर्देश, राष्ट्रपति को श्री आर.एल. केन, महासचिव, बाबा साहेब अम्बेडकर मेमोरियल एक्शन काउंसिल, नई दिल्ली द्वारा प्रस्तुत तारीख 7 अप्रैल, 2006 की याचिका से उद्भूत हुआ है । दूसरा निर्देश (तारीख 18 मई, 2006) श्री राजेन्द्र पाल गौतम, मुख्य महासचिव, समता सैनिक दल द्वारा प्रस्तुत तारीख 26 अप्रैल, 2006 की एक याचिका से संबंधित है । इन दोनों याचिकाओं में, श्रीमती मीरा कुमार की अधिकथित निरर्हता के प्रश्न को इस आधार पर उठाया गया है कि वे अनुच्छेद 102 (1) (क) के अर्थान्तर्गत सरकार के अधीन लाभ का पद धारण कर रहीं हैं ।

2. दोनों याचिकाओं में, आरोप, जोकि काफी मिलते जुलते हैं, ये हैं कि श्रीमती मीरा कुमार डा. अम्बेडकर फाउंडेशन और मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन की अध्यक्षा के पद धारण कर रही हैं । याचियों ने यह दलील दी है कि ये लाभ के पद हैं । श्री केन ने, आयोग द्वारा उनकी दलीलों के संबंध में विनिर्दिष्ट सूचना प्रस्तुत करने के लिए जारी तारीख 25.4.06 की सूचना के तारीख 9.5.06 के अपने उत्तर में यह कथन किया कि श्रीमती मीरा कुमार ने मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन की पदेन अध्यक्षा का पद 24 मई, 2004 से जनवरी, 2006 तक धारण किया । इस उत्तर में उन्होंने प्रत्यर्थी द्वारा केन्द्रीय वक्फ परिषद की अध्यक्षा का पद धारण करने संबंधी एक और आरोप भी जोड़ दिया ।

3. आयोग ने 29.5.06 को श्रीमती मीरा कुमार को याचिकाओं के संबंध में अपना उत्तर फाइल करने के लिए एक सूचना जारी की । अपने पृथक, किन्तु तारीख 16.06.06 के एक समान उत्तरों में श्रीमती मीरा कुमार ने यह कथन किया कि उन्होंने उपर्युक्त पदों को, याचिका में उल्लिखित पदों को शासित करने वाले सुसंगत अधिनियमों और नियमों में यथाउपबंधित इन पदों पर नियुक्ति से संबंधित विधि के प्रवर्तन द्वारा तथा उनके द्वारा अल्पसंख्यक कार्यो और वक्फ से संबंधित मंत्रालय का प्रभार धारण करने के कारण, पदेन हैसियत में धारण किया । उन्होंने यह कथन किया कि ये नियुक्तियां सरकार द्वारा नहीं की गई थीं और वे अनुच्छेद 102(1)(क) के अधिकारक्षेत्र के अंतर्गत नहीं आ सकती थीं । उन्होंने संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 (जिसे संक्षेप में '1959 का अधिनियम' कहा गया है) की धारा 3(क) के उपबंधों का हवाला भी दिया, जो किसी मंत्री द्वारा पदेन या उसके नाम पर धारण किसी पद के संबंध में निरर्हता से छूट के लिए उपबंध करते हैं ।

4. श्री केन ने अपने तारीख 28.06.06 के प्रत्युतर में यह कथन किया कि 1959 के अधिनियम की धारा 3(क) के उपबंध प्रत्यर्थी का बचाव नहीं कर सकते थे । श्री केन के अनुसार, जब किसी मंत्री द्वारा धारण किया गया पद, उक्त धारा के अधीन किसी मंत्री द्वारा धारण किए जाने वाले पदों की सूची में विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित हो, केवल तभी धारा 3(क) का फायदा उपलब्ध होगा और यह कि किसी मंत्री द्वारा धारित सभी पदों के मामले में कोई बहुप्रयोजन छूट उपलब्ध नहीं है । उन्होंने यह कथन किया कि डा. अंबेडकर फाउंडेशन, मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन और केन्द्रीय वक्फ परिषद, 1959 के अधिनियम के अधीन निरर्हता से छूट प्राप्त पदों की सूची में उल्लिखित नहीं हैं । श्री केन ने, मई, 2006 में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित संसद (निरर्हता निवारण) विधेयक, 2006 का भी हवाला दिया और यह कथन किया कि चूंकि उक्त विधेयक को, जिसके अंतर्गत उसकी याचिका में निर्दिष्ट तीन पद आते हैं, अभी राष्ट्रपति की सम्मति नहीं प्राप्त हुई है, इसलिए इन पदों को लाभ के पद मानना होगा । श्री केन ने प्रत्यर्थी को मौलाना आजाद फाउंडेशन और डा. अम्बेडकर फाउंडेशन द्वारा उपलब्ध कराई गई कार तथा फोन सुविधाओं का और उक्त फाउंडेशनों की अध्यक्षता की हैसियत में प्रत्यर्थी में निहित कतिपय प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का भी हवाला दिया । उन्होंने, उनके द्वारा उस हैसियत में किए गए कतिपय विनिश्चयों को उनके द्वारा शक्ति का दुरूपयोग बताया । उन्होंने यह भी कथन किया कि डा. अम्बेडकर फाउंडेशन के अधीन सहबद्ध संगठनों में उसी प्रकार के 'दुरूपयोग' की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता । अन्य याची, श्री राजेन्द्र पाल गौतम ने कोई प्रत्युतर फाइल नहीं किया ।

5. आयोग ने विषय के सभी पहलुओं, श्री केन की याचिका और प्रत्युतर में वर्णित तथ्यों, प्रत्यर्थी द्वारा फाइल लिखित कथन में प्रस्तुतियों, और विधिक स्थिति पर विचार किया है । इस मामले में अवधारित किया जाने वाला आधारिक विवाद्यक यह है कि क्या याचिका में यथानिर्दिष्ट प्रत्यर्थी द्वारा धारित पद 1959 के अधिनियम के अधीन निरर्हता से छूट प्राप्त हैं । उक्त अधिनियम की धारा 3(क), जिसका सहारा प्रत्यर्थी द्वारा लिया गया है, निम्नानुसार है :-

> " 3. कतिपय लाभ के पद निरर्हित न करेंगे - एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित पदों में से कोई भी पद उसके धारक को संसद संदस्य चुने जाने या संसद-सदस्य होने या रहने के लिए वहां तक निरर्हित न करेगा जहां तक कि वह भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन लाभ का पद है ।
>
> (क) संघ के या किसी राज्य के मंत्री, राज्य मंत्री या उपमंत्री द्वारा चाहे पदेन या नाम से धृत कोई पद ;"

6. इस मामले में प्रत्यर्थी संघ की एक केबिनेट मंत्री हैं जिनके पास सामाजिक न्याय और सशक्तता मंत्रालय है । इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि उन्होंने प्रश्नगत पदों को मंत्री के रूप में प्रभार संभालने के पश्चात् धारण किया । वस्तुतः, पहले याची ने इस मामले के शीघ्र निपटारे की मांग करने वाले अपने तारीख 9.05.06 के आवेदन में स्वयं यह कथन किया है कि प्रत्यर्थी डा. अम्बेडकर फाउंडेशन की पदेन अध्यक्षा हैं और वे सामाजिक न्याय और सशक्तता मंत्रालय की प्रभारी मंत्री होने के कारण मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन की पदेन अध्यक्षा का पद धारण कर रही थीं । जहां तक तीसरे पद, अर्थात् केन्द्रीय वक्फ परिषद की अध्यक्षा का संबंध है, याची ने प्रत्यर्थी के इस कथन का विरोध नहीं किया है कि यह भी एक ऐसा पद था जिसे वे पदेन हैसियत में धारण कर रही थीं । यह तथ्य कि प्रत्यर्थी इस पद को पदेन हैसियत में धारण कर रही थीं, इस तथ्य से भी उद्भूत होता है कि प्रत्यर्थी ने जनवरी 2006 में अल्पसंख्यक कार्यों के लिए एक नए मंत्रालय के सृजन के पश्चात्, जिसका अर्थ यह था कि वे वक्फ कार्यों संबंधी प्रभारी मंत्री नहीं रही थीं, इस पद को धारण करना समाप्त कर दिया । अपने लिखित कथन में, प्रत्यर्थी ने मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन, डा. अंबेडकर फाउंडेशन के नियमों और विनियमों और वक्फ अधिनियम, 1995 के सुसंगत उपबंधों को कोट किया है । सुसंगत उपबंधों को नीचे प्रस्तुत किया गया है :

केन्द्रीय वक्फ परिषद

वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 9(2) यह उपबंध करती है कि अधिनियम के अधीन स्थापित केन्द्रीय वक्फ परिषद में "(क) वक्फों का प्रभारी संघ का मंत्री पदेन अध्यक्ष होगा ।"

मौलाना आजाद फाउंडेशन

नियमों और विनियमों का भाग 2 नियम 1 निम्नानुसार है :-

" 2 सदस्यता

i. साधारण निकाय

साधारण निकाय में 15 सदस्य होंगे जिनमें निम्नलिखित 6 पदेन सदस्य सम्मिलित होंगे :

(i) वक्फों का प्रभारी संघ का मंत्री" ।

नियमों का भाग 6 निम्नानुसार है :

(vi) " अध्यक्ष

वक्फों का प्रभारी संघ का मंत्री फाउंडेशन का पदेन अध्यक्ष होगा ।"

डा. अंबेडकर फाउंडेशन

नियमों और विनियमों का नियम 3 निम्नानुसार है :

" 3. फाउंडेशन के सदस्य

(क) फाउंडेशन में निम्नलिखित सदस्य होंगे

पदेन सदस्य :

(i) कल्याण मंत्री, अध्यक्ष" ।

इसके अतिरिक्त नियम 4 और नियम 17 विनिर्दिष्ट रूप से यह उपबंध करते हैं कि कल्याण मंत्री फाउंडेशन का पदेन अध्यक्ष होगा ।

7. जहां तक केन्द्रीय वक्फ परिषद की अध्यक्षा के पद का संबंध है, यह देखा जाएगा कि वह एक ऐसा कानूनी पद है जिसे वक्फ कार्यों के प्रभारी संघ के मंत्री द्वारा पदेन हैसियत में धारण किया जाना होता है । इस पद का उल्लेख राष्ट्रपति के समक्ष की गई किसी भी ऐसी याचिका में नहीं किया गया था जिन्हें आयोग को निर्दिष्ट किया गया हैं । इस पद का उल्लेख श्री केन द्वारा आयोग की तारीख 25.04.06 की सूचना के उत्तर में प्रस्तुत तारीख 9.05.06 की संसूचना में किया गया था । सामान्यतः, आयोग से केवल ऐसे प्रश्नों की जांच करने की अपेक्षा की जाती है, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा उसकी राय के लिए उसे निर्दिष्ट याचिकाओं में उठाया गया हो । इस विधिक स्थिति के होते हुए भी, यह देखा गया है कि वक्फ अधिनियम,1995 की धारा 31 के अधीन केन्द्रीय वक्फ परिषद् के अध्यक्ष के पद के धारक को विनिर्दिष्ट रूप से संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने या ऐसा सदस्य होने के लिए निहर्रित होने से छूट प्राप्त है । इसके अलावा, उक्त पद अनुच्छेद 102(1)(क)के अधीन निरर्हता से छूट प्राप्त पद के रूप में 1959 के अधिनियम की धारा 3(क) के अन्तर्गत भी आएगा । अतः प्रत्यर्थी द्वारा केन्द्रीय वक्फ परिषद् के उक्त पद को धारण करने या पूर्व में धारण करने के कारण निरर्हता उपगत करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

8. जहां तक अन्य दो प्रश्नगत पदों, अर्थात डा0 अम्बेडकर फाउडेशन और मौलान आजाद एजुकेशन फाउडेशन के अध्यक्षों, का संबंध है यह स्पष्ठ और स्वीकृत स्थिति है कि प्रत्यर्थी ने मौलान आजाद एजुकेशन फाउडेशन की अध्यक्षा के पद को, इस पद से संबंधित उक्त संगठन के नियमों और विनियमों के प्रवर्तन द्वारा पदेन हैसियत में धारण किया । ऐसा ही मामला डा0 अम्बेडकर फाउडेशन की अध्यक्षा के पद का है, जो ऐसा पद है जिसे वे अभी भी धारण कर रही हैं । यह भी उतना ही स्पष्ट और संदेह से परे है कि 1959 के अधिनियम की धारा 3(क) संघ या किसी राज्य के मंत्री द्वारा पदेन हैसियत में धारण पदों के संबंध में निरर्हता से विनिर्दिष्ट

छूट का उपबंध करती है । अभिलेख पर रखे गए दस्तावेजों से प्रथम दृष्टया यह प्रतीक होता है कि इन संगठनों में से कम से कम एक, अर्थात मौलाना आजाद एजुकेशन फाउडेशन एक स्वैच्छिक संगठन है, जो सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,1860 के अधीन एक रजिस्ट्रीकृत सोसायटी है और इस बात में संदेह है कि क्या इस संगठन के अध्यक्ष का पद अनुच्छेद 102(1)(क) के प्रयोजनों के लिए सरकार के अन्तर्गत आने वाले पदों के प्रवर्ग के अन्तर्गत आता है अथवा नहीं । तदापि, धारा 3(क) के उपबंधों को देखते हुए, जो किसी भी दशा में ऐसे किसी मंत्री की निरर्हता से संरक्षा करते है जो पदेन हैसियत में कोई पद धारण करता है, आयोग से ना तो ऐसी अपेक्षा की जाती है और ना ही वह इस प्रश्न की जाचं करने की वांछा करता है कि क्या ये पद सरकार के अधीन आने वाले पद हैं, इसके अतिरिक्त आयोग ने 18.08.06 को अधिसूचित संसद(निरर्हता निवारण) संशोधन अधिनियम,2006 द्वारा 1959 के अधिनियम में किए गए संशोधनों को भी घ्यान में रखा है । संशोधित अधिनियम के अनुसार, डा0 अम्बेडकर फांउडेशन और मौलाना आजाद एजुकेशन फॉउडेशन के अध्यक्ष के पदों को धारा 3(ट) के अधीन विनिर्दिष्ट रूप से निरर्हता से छूट प्राप्त है । उक्त संशोधन अधिनियम को भूतलक्षी प्रभाव से 4 अप्रैल,1959 से प्रवृत्त किया गया है ।

9. श्री केन द्वारा फाइल किए गए प्रतिउत्तर में, उन्होनें यह दलील दी थी कि धारा 3(क) का फायदा केवल तभी उपलब्ध होगा जब संबंधित पद को किसी मंत्री द्वारा धारित किए जाने वाले पदों की सूची में विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया हो । यद्यपि, 1959 के अधिनियम में किए गए ऊपर उल्लिखित संशोधन को देखते हुए इस तर्क कि समीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी यह नोट करने की आवश्यकता है कि धारा 3(क) में ऐसा कोई निर्बंधन नहीं है जैसा कि श्री केन द्वारा दलील दी गई है और न ही धारा 3 (क) के अधीन पदों की कोई सूची दी गई हैं ।

10. पूर्वोक्त को देखते हुए आयोग की सुविचारित राय यह है कि 1959 के अधिनियम की धारा 3(क) और धारा 3(ट) प्रत्यर्थी की, उसके द्वारा याचिकाओं में उल्लिखित पदों को धारण करने के कारण निरर्हता से, यदि ऐसी कोई निरर्हता थी तो संरक्षा करती हैं ।

11. तदनुसार, पैरा 1 में निर्दिष्ट राष्ट्रपति से प्राप्त उक्त दो निर्देशों को संविधान के अनुच्छेद 103 (2) के अधीन भारत निर्वाचन आयोग की इस आशय की राय के साथ राष्ट्रपति को वापस भेजा जाता है कि श्रीमती मीरा कुमार ने, निर्देश के अधीन दोनों याचिकाओं में उल्लिखित पदों को धारण करने के कारण कोई निरर्हता उपगत नहीं की है ।

| ह./- | ह./- | ह./- |
|---|---|---|
| (एस.वाई. कुरेशी) | (एन. गोपालस्वामी) | (नवीन बी. चावला) |
| निर्वाचन आयुक्त | मुख्य निर्वाचन आयुक्त | निर्वाचन आयुक्त |

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 25 अगस्त, 2006

## MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

**(Legislative Department)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd September, 2006

**S.O. 1584(E).**—The following Order made by the President is published for general information :—

**ORDER**

Whereas a petition dated the 7th April, 2006 of alleged disqualification of Smt. Meira Kumar, a sitting Member of Parliament (Lok Sabha) under clause (1) of article 103 of the Constitution has been submitted to the President by Shri R.L. Kain, General Secretary, Baba Saheb Ambedkar Memorial Action Council, New Delhi;

And whereas another petition dated the 26th April, 2006 of alleged disqualification of Smt. Meira Kumar, a sitting Member of Parliament (Lok Sabha) under clause (1) of article 103 of the Constitution has been submitted to the President by Shri Rajendra Pal Gautam, Chief General Secretary, Samata Sainik Dal;

And whereas the said petitioners have contended that Smt. Meira Kumar has been holding the offices of Chairperson of Dr. Ambedkar Foundation and Chairperson of Maulana Azad Education Foundation, which are alleged to be the offices of profit;

And whereas the opinion of the Election Commission has been sought by the President under references dated 17th April, 2006 and 18th May, 2006 under clause (2) of article 103 of the Constitution on the question as to whether Smt. Meira Kumar has become subject to disqualification for being a Member of Parliament (Lok Sabha) under sub-clause (a) of clause (1) of article 102 of the Constitution;

And whereas the Election Commission has noted that the offices held by Smt. Meira Kumar are in *ex officio* capacity, and sub-section (a) and sub-section (k) of Section 3 of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959 protect her from disqualification, if at all there was any, on account of her holding the offices mentioned in the petitions;

And whereas the Election Commission has given its opinion (*vide* Annex) that Smt. Meira Kumar has not incurred any disqualification for being a Member of Parliament (Lok Sabha) on account of holding the offices mentioned in the two petitions under reference;

Now, therefore, I, A.P.J. Abdul Kalam, President of India, in exercise of the powers conferred on me under clause (1) of article 103 of the Constitution, do hereby decide that Smt. Meira Kumar has not incurred any disqualification for being a Member of Parliament (Lok Sabha) on account of holding the offices mentioned in the two petitions submitted by Shri R.L. Kain and Shri Rajendra Pal Gautam.

**PRESIDENT OF INDIA**

---

18th September, 2006

[F. No. H-11026(19)/2006-Leg. II]

N. K. NAMPOOTHIRY, Jt. Secy. and Legislative Counsel

ANNEX

**ELECTION COMMISSION OF INDIA**

**In re:**

Alleged disqualification of Smt. Meira Kumar, Member of the Lok Sabha under Article 102 (1) (a) of the Constitution of India.

**Reference Cases Nos. 46 and 84 of 2006**

[References from the President of India under Article 103 (2) of the Constitution]

OPINION

This opinion relates to two references dated 17th April, 2006 and 18th May, 2006, from the President of India, under Article 103 (2) of the Constitution, seeking the opinion of the Election Commission on the question whether Smt. Meira Kumar has become subject to disqualification for being a Member of the Lok Sabha, under Article 102 (1)(a) of the Constitution. The first reference dated 17th April, 2006, arose out of a petition dated 7th April , 2006 submitted to the President by Sh.R.L. Kain, General Secretary, Baba Saheb Ambedkar Memorial Action Council, New Delhi. The other reference (dated 18th May, 2006) relates to a petition dated

26th April, 2006 submitted by Sh.Rajendra Pal Gautam, Chief General Secretary, Samta Sainik Dal. In both these petitions, the question of alleged disqualification of Smt. Meira Kumar has been raised on the ground that she has been holding offices of profit under the government within the meaning of Article 102 (1) (a).

2. In the two petitions, the allegations, which are almost identical, are that Smt. Meira Kumar has been holding the office of Chairperson of the Dr. Ambedkar Foundation and the Maulana Azad Education Foundation. The petitioners contend that these are offices of profit. Sh. Kain, in reply dated 09-05-06 to a notice dated 25-04-06 issued by the Commission for furnishing specific information with regard to his contentions, submitted that Smt. Meira Kumar held the office of ex-officio Chairperson of the Maulana Azad Education Foundation w.e.f 24th May, 2004 and till January, 2006. In this reply, he also added another allegation about the respondent holding the office of the President of the Central Wakf Council.

3. The Commission issued a notice to Smt. Meira Kumar on 29-05-06 for filing her reply to the petitions. In her separate, but identical replies dated 16-06-06, Smt. Meira Kumar submitted that she held the aforesaid offices in ex-officio capacity, by operation of law relating to the appointment to these offices as provided in the relevant Acts and Rules governing the offices mentioned in the petition, by virtue of her holding the charge of the Ministry dealing with minority affairs and the Wakf. She submitted that these were not appointments by the Government and could not come under the purview of Article 102(1)(a). She also referred to the provisions of Section 3 (a) of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959 ( '1959 Act' for short), which provides exemption from disqualification in respect of an office held by a Minister, ex-officio or by name.

4. Shri Kain, in his rejoinder dated 28-06-06, submitted that the provisions of Section 3 (a) of the 1959 Act, would not come to the rescue of the respondent. According to Sh. Kain, it is only when the office held by the

Minister is an office specifically mentioned in the list of offices to be held by a Minister under the said Section, that the benefit of Section 3 (a) would be available, and that there is no omnibus exemption in the case of all offices held by a Minister. He submitted that the Dr. Ambedkar Foundation, the Maulana Azad Education Foundation and the Central Wakf Council are not mentioned in the list of offices exempted from disqualification under the 1959 Act. Sh. Kain also referred to the Parliament (Prevention of Disqualification) Bill, 2006, passed by the two Houses of the Parliament, in may, 2006, and stated that as the said Bill which includes the three offices referred to in his petition, was yet to receive the assent of the President, these offices would have to be treated as offices of profit. Sh. Kain also referred to the facilities of the car and the phone provided to the respondent by the Maulana Azad Foundation and the Dr. Ambedkar Foundation, and certain administrative and financial powers vested in the respondent in her capacity as chairperson of the said Foundations. He termed certain decisions taken by her in that capacity as abuse of power by her. He also stated that the possibility of similar 'abuse' in the associated organizations under the Dr. Ambedkar Foundation could not be ruled out. The other petitioner, Shri Rajendra Pal Gautam, has not filed any rejoinder.

5. The Commission has considered all aspects of the matter, the facts brought out in the petition and rejoinder of Shri Kain, the submissions in the written statement filed by the respondent, and the legal position. The basic issue to be determined in this case is whether the offices held by the respondent as referred to in the petition are exempted from disqualification under the 1959 Act. Section 3 (a) of the said Act relied upon by the respondent is reproduced below:

"3. Certain offices of profit not to disqualify: It is hereby declared that none of the following offices in so far as it is an office of profit under the Government of India or the Government of any State shall disqualify the holder thereof for being chosen as, or for being, a Member of Parliament.

(a) any office held by a Minister, Minister of State or Deputy Minister for the Union or for any State, whether ex-officio or by name;"

6. In the present case, the respondent is a Union Cabinet Minister holding the portfolio of Social Justice and Empowerment. It is not disputed that she came to hold the offices in question after assuming the charge as the Minister. In fact, the first petitioner in his application dated 9-05-06 seeking early disposal of the matter, has himself stated that the respondent is the ex-officio Chairperson of the Dr. Ambedkar Foundation and was holding the office of ex-officio Chairperson of the Maulana Azad Education Foundation, being the Minister in charge of the Ministry of Social Justice and Empowerment. As regards the third office, viz. Chairperson of Central Wakf Council, the petitioner has not disputed the statement of the respondent that this was also an office held by her in ex-officio capacity. The fact that the respondent was holding this office in ex-officio capacity is also borne out from the fact that the respondent ceased to hold this office in January, 2006, following the formation of a new Ministry for Minority Affairs, which in turn meant that she cased to be the Minister in charge of the Wakf affairs. In her written statement, the respondent has quoted the relevant provisions in the rules and regulations of the Maulana Azad Education Foundation, the Dr. Ambedkar Foundation and the Wakf Act 1995. The relevant provisions are reproduced below:

Central Wakf Council

Section 9 (2) of the Wakf Act, 1995 provides that the Central Wakf Council established under that Act "shall consist of (a) the Union Minister in charge of Wakfs – ex-officio Chairperson."

2987 GI/06

The Maulana Azad Foundation

Part II Rule 1 of the Rules and Regulations reads as under:

"II MEMBERSHIP

i. General Body

The General Body will consist of 15 members including the following 6 Ex-officio members:

(i) Union Minister in charge of WAKFs".

Part VI of the Rules reads as under:

(vi) "PRESIDENT

The Union Minister in charge of WAKFs will be the Ex-officio President of the Foundation."

The Dr. Ambedkar Foundation

Rule 3 of the Rules and Regulation reads as under:

"3. Members of the Foundation

(a) The Foundation shall consist of the following Members

Ex-officio Members:

(i) Welfare Minister, Chairperson".

Rules 4 and 17 further specifically provide that the Welfare Minister shall be ex-officio Chairperson of the Foundation.

7. As regards the office of the Chairperson of the Central Wakf Council, it would be seen that the same is a statutory office to be held by the Union Minister in charge of Wakf Affairs in ex-officio capacity. This office was not mentioned in either of the petitions before the President which have been referred to the Commission. This office was mentioned in the communication dated 9-05-06, submitted by Sh. Kain, in reply to the Commission's notice dated 25-04-06. Normally, the Commission would be required to inquire into only those questions which are raised in the petitions referred to it for its opinion by the President. Notwithstanding this legal position, it is seen that under Section 31 of the Wakf Act, 1995, the holder of the office of the Chairperson of the Central Wakf Council is

specifically exempted from disqualification for being chosen as, or for being, a member of Parliament. This apart, the said office would also be covered under Section 3 (a) of the 1959 Act, as an office exempted from disqualification under Article 102 (1) (a). Therefore, there is no question of incurring disqualification on account of the respondent holding or having held the said office of the Chairperson of the Central Wakf Council.

8. Coming to the other two offices in question, viz. Chairperson of the Dr. Ambedkar Foundation and the Maulana Azad Education Foundation, it is a clear and admitted position that the respondent held the office of the Chairperson of the Maulana Azad Education Foundation in ex-officio capacity by operation of the rules and regulations of the said organization relating to this office. Similar is the case with regard to the office of the Chairperson of the Dr.Ambedkar Foundation, an office which she still continues to hold. It is equally clear and unambiguous that Section 3(a) of the 1959 Act provides a specific exemption from disqualification in respect of the offices held by a Minister for the Union or for any State, in ex-officio capacity. From the documents placed on record, prima facie, it appears that at least one of these organizations, viz. the Maulana Azad Education Foundation, is a voluntary organization registered as a Society under the Societies Registration Act, 1860, and it is doubtful whether the office of Chairperson in this organization would fall in the category of office under the Govt. for the purposes of Article 102 (1) (a). However, in view of the provisions of Section 3 (a) which would, in any event, protect a Minister who holds an office in ex-officio capacity from disqualification, the Commission is neither required nor inclined to go into the question whether these offices are offices under the Government. Further, the Commission has also taken note of the amendment made to the 1959 Act, vide the Parliament (Prevention of Disqualification) Amendment Act, 2006 notified on 18-08-06. As per the amended Act, the offices of Chairperson in the Dr. Ambedkar

Foundation and the Maulana Azad Education Foundation are specifically exempted from disqualification under Section 3 (k). The said amendment Act has been brought into force with retrospective effect from 4th April, 1959.

9. In the rejoinder filed by Sh. Kain, he had contended that the benefit of Section 3(a) would be available only when the office concerned is specifically mentioned in the list of offices to be held by a Minister. Although this argument need not be gone into in view of the above mentioned amendment made to the 1959 Act, it needs to be noted that there is no such restriction to be read into Section 3 (a), as contended by Sh. Kain, nor is there any list of offices given under Section 3 (a).

10. In view of the foregoing, the Commission is of the considered opinion that Section 3(a) and 3(k) of the 1959 Act protect the respondent from disqualification, if at all there was any, on account of her holding the offices mentioned in the petitions.

11. Accordingly, the two references received from the President, referred to in paragraph 1, are returned with the opinion of the Election Commission of India, under Article 103(2) of the Constitution, to the above effect that Smt. Meira Kumar has not incurred any disqualification on account of holding the offices mentioned in the two petitions under reference.

| (S.Y. Quraishi) | (N. Gopalaswami) | (Navin B. Chawla) |
|---|---|---|
| Election Commissioner | Chief Election Commissioner | Election Commissioner |

Place : New Delhi
Dated : 25th August, 2006

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.